

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (पुप-२) विभाग

क्रमांक: एफ.३(१)साप्र/२/२०१३

जयपुर दिनांक १४ फेब्रुअरी २०१३

— आदेश —

इस विभाग के आदेश संख्या प.३(१)साप्र/२/२०१०—पार्ट दिनांक २४.९.२०१० के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी वरिष्ठतानुसार उनके नाम के समुख अंकित आवंटित राजकीय आवास का उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है—

क्र.सं	वारेयता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
१	१२७/२००८	श्री देवेन्द्र पाल मीणा सहायक विधि परामर्शी पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	३३/७० गांधीनगर	३३/६६ गांधीनगर	३१.१२.२०२९

शर्तः—

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वराली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार बसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- यौंक उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(३)(ए) के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से ९ दिवस में आवंटन स्थूलाकार करने गे असफल रहने की तारीख से ६ माह की बालाघाती तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रख्य/पत्नी य उन पर आन्तित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनाफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयुक्त है—

- सम्मानीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- उप सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी एवं कोाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, साठनी०अभिय०/जन स्पा०अभिय०/जयपुर विभिन्न लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की रिक्ति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या—६ की पालना को भी अगले में लावें।
- संबंधित अधिकारी।
- निदेशक, उद्यान विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

12. इसमें निर्देशक संस्थानीय प्रबन्ध तथा वोल्टता भवन, जलानुप्रयोग उत्तर क्षेत्र के आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का अनुरोध है।
13. सहायक आग्नेयना, सार्वजनिक विधान विभाग, जीवी गंभीरनगर जलपुर की भेजकर लेख है कि जलानुप्रयोग को जारी रखना-8-की पालना को सुनिश्चित कर करता है। क्षेत्र के आदेश की एक प्रति भीड़ियां थीं पर चरण बनाये।
14. जी बेंच घर सेम्प्ट लहाना विहि पठायी, बहुगतन मालव एवं डेसरी विकास विभाग, सार्वजनिक विधान जलपुर-क्षेत्र परिवर्तन आवास रखना हा/66 गंभीरनगर का नम्बर डेवल पूर्व आवृत्ति आवास रखना हा/70 गंभीरनगर विहि कर सुनिश्चित करते।
15. सार्वजनिक विधान सम्मन्य प्रशासन (पुष-9) विभाग।
16. निजी संविध अति गुरुत्व सहित सार्वजनिक विधान सम्मन्य सार्वजनिक विधान।
17. अधिकारिक नियो विधान विधान जल परिवर्तन आवास विधान सम्मन्य (पुष-2) विभाग।
18. रोपत प्रबन्धकी।

(गणकूल विवा)
कालन सहायक लिय